राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 61/06–07

विषयः– श्री नारायण सिन्हा एवं अन्य, साउथ चान्दमारी रोड, पटना–20 का प्राप्त आवेदन–पत्र।

10.11.2006 आवेदक को निर्धारित फिस जमा करने के लिए सूचना दी जाए आवेदन–पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए आयुक्त, पटना नगर निगम को दिनांक–02.12.06 के पूर्व मंतव्य देने के लिए कहा जाए। सुनवाई के लिए दिनांक–06.12.06 को 11.00 बजे प्रातः रखा जाए तथा आवेदक को भी सूचित किया जाए।

(पी0एन0 नारायणन) (मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

06.12.2006 दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन) (मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 आवेदक श्री नारायण सिन्हा उपस्थित थे। पटना नगर निगम की ओर से इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गयी है जबकि आयोग के पत्रांकः 91, दि0 06.12.06 के द्वारा कंडिकावार मंतव्य की मांग की गयी थी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा नगर निगम में प्रयास किया गया, परन्तु वहाँ से कोई सूचना उन्हें मिल रही है। अतएव आयुक्त, पटना नगर निगम को इस मामले में की गई कार्रवाई का पूर्ण प्रतिवेदन के साथ दिनांक 31.01.07 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होने का निदेश दिया जाय। आवेदक को भी तदनुसार सूचित किया जाय।

(मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

31.01.2007 वादी उपस्थित हैं। आयोग के दिनांक 10.11.2006, 05.12.2006 एवं 08.01.2007 के आदेश के बावजूद न तो पटना नगर निगम से प्रतिवेदन ही प्राप्त हुआ है और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–आयुक्त जिन्हें दिनांक 31.01.2007 को 10.30 बजे उपस्थित रहने को कहा गया था, न ही उपस्थित हैं। अतः आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 20(1) के तहत यह नोटिश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अतः उन्हें नोटिश दी जाती है कि उनके वेतन से क्यों नहीं 15 हजार रू0 की कटौती की जाय और क्यों नहीं धारा 20(2) के तहत अन्य विभागीय कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया जाय। आयोग इस वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न निर्धारित करती है तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–आयुक्त को यह निर्देश देती है कि अगली तिथि को वे स्वंय अपने मंतव्य के साथ उपस्थित रहें तथा कारण पृच्छा दाखिल करें। इसकी एक प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, नगर विकास विभाग को भी भेज दी जाय।

(मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

19.02.2007 वादी उपस्थित हैं। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–आयुक्त उपस्थित हैं जिन्हें 31.01.2007 को भी उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था परन्तु उस दिन अनुपस्थित रहने के कारण आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) तथा 20 (2) के तहत नोटिस भी दी गई थी। कार्यपालक पदाधिकारी–सह–आयुक्त का कहना है कि उन्होंनें जनवरी, 2007 में पदभार ग्रहण किया है और वे आयोग के निर्देश से अवगत नहीं थे। कार्य भार ग्रहण करने के बाद जैसे ही आयोग के निर्देश की जानकारी मिली, आदेश का पालन कर दिया गया है। वादी को मंतव्य की प्रतिलिपि नहीं दी गई है जिसके लिए आज दिनभर का समय मांगा गया है। आज प्रतिलिपि वादी को दे दी गई। अगली तारीख 26.02.2007 को प्रातः 10.30 बजे अन्तिम निर्णय के लिए रखा जाय।

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

26.02.2007 वादी उपस्थित हैं तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–आयुक्त उपस्थित हैं आवेदक को कंडिकावार सूचनाएँ दे दी गयी है। जहाँ तक पीने के स्वच्छ जल का प्रश्न है मुख्य कार्यपालक अधिकारी–सह–आयुक्त का कहना है कि आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है और अगले छः माह के अन्दर इसका समाधान कर दिया जायेगा। अतः आवेदक द्वारा दिये गये प्रश्नों का समाधान की गुन्जाइस हो जाती है। अतएव, वाद को समाप्त किया जाता है।

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त